न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल।

पिपरा थाना काण्ड संख्या–315 / 2024(s)

जमानत आवेदन संख्या–411 / 2026

विजेन्द्र सादा उर्फ ढोकाय, उम्र करीब–33 वर्ष, पिता–बौकू सादा, साकिन–रामनगऱ, थाना–पिपरा, जिला–सुपौल।

..आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार...विपक्षी।

16.06.2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त **विजेन्द्र सादा उर्फ ढोकाय** की ओर से दाखिल किया गया है, जो पिपरा थाना कांड संख्या–315 / 2024(s) अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड तहत दिनांक–08.02.2026 से कारा में संसीमित है एवं जिनका यह वाद श्री श्वेताभ शांडिल्य, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी सुपौल के न्यायालय में लंबित है।

जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अमर कुमार दास को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन से पूर्व जमानत आवेदन संख्या 174 / 2026 दाखिल किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ अस्वीकृत किया गया था कि आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात आवदेक अभियुक्त नवीन जमानत आवेदन दाखिल कर सकते है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन ना तो इस न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में अन्दर धारा–109 भा0न्या0सं0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है तथा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सूचक के छोटा भाई अशोक कुमार वर्मा को मारने का कोई आरोप आरोपित नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र विद्वान निम्न न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–13.05.2026 को आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान भी लिया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 08.02.2026 से कारा में संसीमित है। अतः अभियुक्त आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक–03.10.2024 को समय 6:30 बजे शाम में सूचक संतोष कुमार वर्मा का छोटा भाई अशोक कुमार वर्मा अपने घर से आगे चौक पर खड़ा था, तो ग्रामीण व सह–अभियुक्त जय प्रकाश चौधरी आया और कहा कि हरिजन टोला में स्थित विश्वकर्मा मंदिर में लाईट नहीं जल रहा है, चलिये लाईट जला दीजिए आगे जाने पर अन्य ग्रामीण भी साथ हो लिये सभी मंदिर परिसर में गया मंदिर का कनेक्शन सुधीर सादा के खाली घर में था, जिस घर में जाकर बिजली कनेक्शन जोड़ने लगा तो उसी घर के अन्दर आवेदक अभियुक्त तथा 4 सह–अभियुक्तगण एवं तीन–चार अज्ञात सभी उसी घर में पहले से घात लगा कर बैठा हुआ था। सूचक का भाई को सह–अभियुक्त रबेन सादा उर्फ मलहोत्रा पीछे से दोनों हाथ

लगातार

<u>लगातार</u> 16.06.2026	पकड़कर अन्दर खींच लिया। आवेदक अभियुक्त बिजेन्द्र सादा उर्फ ढोकाय कमर पकड़ लिया और बोला आज इसे जान से मार दो, उस पर सह अभियुक्त जितेन्द्र सादा उर्फ खिखरा अपने हाथ में लिए तलवार से जान मारने के नीयत से सर पर मारा, जिससे सर कट गया खून से लतपथ जमीन पर गिर गया। इस पुरे घटना क्रम में सह–अभियुक्त जय प्रकाश चौधरी दरवाजे पर खड़ा रहा, जिसके कारण सूचक का भाई घर से नहीं निकल पाया। यह देख साथ गये, सभी व्यक्ति भाग गया, हल्ला सुनकर आस–पास के कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तो देखा कि सूचक का भाई खून से लतपथ गंभीर रूप से जमीन पर गिरा हुआ है। ग्रामीण को देखकर उपरोक्त सभी व्यक्ति घर से निकल कर भागने लगे। सह–अभियुक्त जितेन्द्र सादा उर्फ खिखरा बोल रहा था कि कोई कुछ बोलेगा तो उसे भी जान से मार देंगे। घटना के तुरंत बाद घर खबर करते हुए जख्मी भाई को लेकर मित्रा इमरजेन्सी हॉस्पीटल सुपौल लाये, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद सदर हॉस्पीटल सुपौल लेकर चले गये। सदर अस्पताल सुपौल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेफर कर दिये। सूचक अपने जख्मी भाई को निरो हॉस्पीटल, विराट नगर, नेपाल भर्ती करवाये, जहां अभी भी जीवन व मौत से लड़ रहा है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के भाई अशोक कुमार वर्मा को मारपीट करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 5 में वादी का बयान एवं काण्ड दैनिकी की कंडिका 6, 7, और 8 में साक्षियों का बयान अंकित है, जिन्होनें घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 60 में जख्मी के जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी को सर पर गम्भीर प्रकृति का जख्म कारित हुआ है, जो शरीर का मर्म भाग है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के द्वारा पूर्व में जमानत आवेदन संख्या 174 / 2026 दाखिल किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में इस निर्देश के साथ अस्वीकृत किया गया था कि आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् आवदेक अभियुक्त नवीन जमानत आवेदन दाखिल कर सकते हैं। प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। काण्ड दैनिकी में आवदे अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।जख्मी के जख्म उसके मर्म भाग पर पाया गया है, जो गंभीर प्रकृति का है। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–13.05.2026 को आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत संज्ञान भी लिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितयों एवं जख्मी को कारित जख्म की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त विजेन्द्र सादा उर्फ ढोकाय को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **फलस्वरूप;** आवेदक अभियुक्त विजेन्द्र सादा उर्फ ढोकाय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ प्रभारी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय सुपौल	